

अभिलेख उपस्थापित।

पतवा देवी पति स्व0 रतन पासवान पिता स्व0 जानकी दुसाध, निवास स्थान ग्राम-बैहरी, पोस्ट-ओरिया, थाना-मुपफसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-गुडवा, थाना संख्या-239, खाता संख्या-81, प्लॉट संख्या-302, रकवा 0.0370 एकड़ (3.70 डिसमिल) (तीन दशमलव सात शून्य डिसमिल) भूमि संगीता कुमारी पति मुकेश कुमार दास, निवास स्थान ग्राम-लोहंडी, पोस्ट वो थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-236/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1427/रा0 दिनांक 19.04.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1519 दिनांक 05.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत चेतलाल गोडायत वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 8.49 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.5750 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-44/IX पर ऑनलाईन में रतन दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदिका के पति जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदिका की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 1.5380 एकड़ भूमि बचती है। भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1


2


प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में पतवा देवी पति स्व0 रतन पासवान पिता स्व0 जानकी दुसाध, निवास स्थान ग्राम-बैहरी, पोस्ट-ओरिया, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-गुडवा, थाना संख्या-239, खाता संख्या-81, प्लॉट संख्या-302, रकवा 0.0370 एकड़ (3.70 डिसमिल) (तीन दशमलव सात शून्य डिसमिल) भूमि संगीता कुमारी पति मुकेश कुमार दास, निवास स्थान ग्राम-लोहंडी, पोस्ट वो थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

  
अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

  
अपर समाहर्ता, हजारीबाग।